फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

प्रार्थीया- मंगली देवी
केस संख्या : 107 / 2017

अप्रार्थी— कालूराम व अन्य
निर्णय दिनांक : 13.06.2018

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

:—निर्णय:—

13.6.2018

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

आज यह पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील प्रार्थी उप0। वकील अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 7 उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार रा0ज0 उप0। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि खसरा नंबर 800/5 रकबा 10 बीघा ग्राम आजनोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर की प्रार्थीया रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25.06.2017 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है बावजूद इसके अप्रार्थीगण प्रार्थीया की आराजीयात की सीमाओ को तोडकर जबरन कब्जा करने पर आमादा है इस कारण प्रार्थीया की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को प्रदान किये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

पक्षकारान को सुना गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 7 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी खसरा नंबर 800/5 की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 खसरा नंबर 798/1 की आराजीयात, अप्रार्थी संख्या 4 खसरा नंबर 800/6 के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 खसरा नंबर 800/3 एवं 800/4 के खातेदार काश्तकार है।

चूंकि दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी की आराजीयात के साथ–साथ अप्रार्थी की आराजीयात की भी पत्थरगढी किये जाने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर सहमति प्रकट की है, न्यायहित में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेश दिया जाता है कि वह खसरा नंबर 798/1, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6 ग्राम आजनोटा, तहसील फागी, जिला जयपुर की भूमि का सीमाज्ञान कर, पडौसी काश्तकारान की उपस्थिति में सहमति से पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

13/06/18

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

Scanned by CamScanner